



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-32/2019- 506

दिनांक : 01/07/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/वन संरक्षक एवं राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगीनी एवं कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु का तृतीय वर्ष कार्य तथा सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 79.052 लाख (उन्नासी लाख पाँच हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-46/2019-42/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-36/2020-16/आ0 व0प0 दिनांक 10.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 79.052 लाख (उन्नासी लाख पाँच हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|----------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S24060110209010103 | 60.546 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060110209010323 | 18.506 |
| कुल :- | | 79.052 |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1(क) से 1(ग)** पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2(क) से 2(ग)** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

m

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उस समिति से संबंधित सभी अभिलेख एवं उत्पादित लाह से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. इस योजना का कोड संख्या— 19S24060110209010103, 19S24060110209010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।



13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

15. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।



16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक- 01/यो0बजट-32/2019- 506 दिनांक- 01/07/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची /मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ हजारीबाग/ बोकारो /वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक- 01/यो0बजट-32/2019- 506 दिनांक- 01/07/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या | वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|----------------|---------------------|--------|
| | | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | | 6.282 | 4.206 | 10.488 |
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| 1 | गुमला वन प्रमंडल, गुमला | 125 | 12500 | 6.282 | 4.206 | 10.488 |
| योग :- | | 125 | 12500 | 6.282 | 4.206 | 10.488 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या | वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------|---------------------|--------|
| | | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | | 5.230 | 3.802 | 9.032 |
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| 1 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | 125 | 12500 | 5.230 | 3.802 | 9.032 |
| 2 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 125 | 12500 | 5.230 | 3.802 | 9.032 |
| 3 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | 125 | 12500 | 5.230 | 3.802 | 9.032 |
| योग :- | | 375 | 37500 | 15.690 | 11.406 | 27.096 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 311. 33)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | स्थल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे० में) | वित्तीय लक्ष्य | | | |
|----------|---|-------------|------------------------|----------------|---------------------|----------|------|
| | | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल | |
| | | | | 55105.41 | 4133.00 | 59238.41 | |
| i | | ii | | iv | v | vi | viii |
| 1 | वन संरक्षक एवं राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची | उदयपुरा | 20 | 11.021 | 0.827 | 11.848 | |
| | | सबानो | 50 | 27.553 | 2.067 | 29.620 | |
| योग :- | | | 70 | 38.574 | 2.894 | 41.468 | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड राँची।


कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तृतीय वर्ष) की कार्य लाह-पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार

(रु० लाख में)

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी | दर | तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33 | | | |
|----------|--|--|--|--------|---------|----------|
| | | | भौतिक लक्ष्य | मजदूरी | सामग्री | कुल व्यय |
| 1 | वृक्षों का चिह्नांकन | रु० 2.98 प्रति वृक्ष | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | प्रशिक्षण | | | | | |
| | (क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण | 100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष | | | 1.000 | 1.000 |
| | (ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण | 2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी | | | | 0.000 |
| 3 | टूलकीट एवं अन्य सामग्री | रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट | | | | 0.000 |
| 4 | वृक्षों की कटाई-छँटाई | 1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष | | | | 0.000 |
| 5 | बीहन लाह का क्रय | 4-6 कि० ग्राम प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति कि०ग्राम | गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष | | | 0.000 |
| 6 | संचारण व्यय | 1 मा० दि० प्रति 5 वृक्ष | 3750 वृक्ष | 2.335 | | 2.335 |
| 7 | फसल संरक्षण पर व्यय | 60 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि) | 3750 वृक्ष | | 2.250 | 2.250 |
| 8 | कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन | 1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु० | | | | 0.000 |
| 9 | फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण | 4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष | 3750 वृक्ष | 0.467 | | 0.467 |

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी | दर | तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33 | | | |
|----------|--|---|--|--------|---------|----------|
| | | | भौतिक लक्ष्य | मजदूरी | सामग्री | कुल व्यय |
| 10 | तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित) | | | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 11 | लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय | 1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक / माह | 1 पर्यवेक्षक (12 माह) | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
| 12 | CRP (Community Resource Person) को मानदेय | 12 CRP @ 2000रु0 प्रति माह | 12 CRP (12 माह) | 2.880 | | 2.880 |
| 13 | अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि) | | | | 0.500 | 0.500 |
| | | कुल योग— | | 6.282 | 4.000 | 10.282 |
| 14 | Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.) | | | | 0.206 | 0.206 |
| | | सकल योग— | | 6.282 | 4.206 | 10.488 |


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह
ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर
लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार,
कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रु० लाख में)

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी | दर | तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33 | | | |
|-------------|--|--|---|--------|---------|----------|
| | | | भौतिक लक्ष्य | मजदूरी | सामग्री | कुल व्यय |
| 1 | वृक्षों का चिह्नांकन | रु० 2.98 प्रति वृक्ष | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | प्रशिक्षण | | | | | |
| | (क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण | 100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष | | | 1.000 | 1.000 |
| 3 | टूलकीट एवं अन्य सामग्री | रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट | | | | 0.000 |
| 4 | वृक्षों की कटाई-छँटाई | 1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष | | | | 0.000 |
| 5 | बीहन लाह का क्रय | 700 ग्राम से 1. 00 कि०ग्रा० प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति कि०ग्रा० | गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष | | | 0.000 |
| 6 | संचारण व्यय | 1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष | 6250 वृक्ष | 0.972 | | 0.972 |
| 7 | फसल संरक्षण पर व्यय | 30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि) | 6250 वृक्ष | | 1.875 | 1.875 |
| 8 | कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन | 1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु० | | | | 0.000 |
| 9 | फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण | 4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष | 6250 वृक्ष | 0.778 | | 0.778 |
| 10 | तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित) | | | 0.000 | 0.250 | 0.250 |

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी | दर | तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33 | | | |
|----------|---|---|--|--------|---------|----------|
| | | | भौतिक लक्ष्य | मजदूरी | सामग्री | कुल व्यय |
| 11 | लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय | 1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह | 1 पर्यवेक्षक (12 माह) | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
| 12 | CRP (Community Resource Person) को मानदेय | 12 CRP @ 2000रु० प्रति माह | 12 CRP (12 माह) | 2.880 | | 2.880 |
| 13 | अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि) | | | | 0.500 | 0.500 |
| | कुल योग— | | | 5.230 | 3.625 | 8.855 |
| 14 | Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.) | @ 2 % of Project cost | | | 0.177 | 0.177 |
| | सकल योग— | | | 5.230 | 3.802 | 9.032 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर प्रति हे०

पौधों की संख्या प्रति हे०:— 6150

| क्र० सं० | कार्य की विवरणी | इकाई | मानव दिवस प्रति हे० | मजदूरी रू० में | सामग्री रू० में | कुल व्यय रू० में | अभ्युक्ति |
|----------|--|------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|
| (A) | वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू० 311.33 | | | | | | |
| 1. | दो कोड़नी एवं निकोनी | हे० | 145 | 45142.85 | 0.00 | 45142.85 | |
| 2. | उर्वरक एवं रसायन | हे० | 0 | 0.00 | 4133.00 | 4133.00 | |
| 3. | सुरक्षा कार्य | हे० | 12 | 3735.96 | 0.00 | 3735.96 | |
| 4. | घेरान मरम्मत | हे० | 5 | 1556.65 | 0.00 | 1556.65 | |
| 5. | मृत पौधों का बदलाव | हे० | 15 | 4669.95 | 0.00 | 4669.95 | |
| | योग :- | | 177 | 55105.41 | 4133.00 | 59238.41 | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-32/2019/506

दिनांक - 01-Jul-2021




| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|---|
| 1 | S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29985 | GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी | 628,200.00 रुपये छः लाख अठाइस हजार दो सौ |
| 2 | S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29986 | CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी | 523,000.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार |
| 3 | S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29987 | HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी | 523,000.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार |

योग: रुपये सोलह लाख चौहत्तर हजार दो सौ
क्रमिक योग:

1,674,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

RANCH

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|-----------|--|---|
| 4 | S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29988 | BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी | 523,000.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार  |
| 5 | S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29989 | DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी | 3,857,400.00 रुपये अड़तीस लाख सत्तावन हजार चार सौ  |
| 6 | S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29991 | GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 420,600.00 रुपये चार लाख बीस हजार छः सौ  |
| योग: | | | | 4,801,000.00 |
| क्रमिक योग: | | | | 6,475,200.00 |
| Page 2 of 4 | | | | |

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEW. JHARKHAND

RANCH

Run Date: 1/7/2021

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|-----------|--|--|
| 7 | S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29992 | CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 380,200.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार दो सौ |
| 8 | S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29993 | HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 380,200.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार दो सौ |
| 9 | S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA | 29995 | BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 380,200.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार दो सौ |
| योग: | रुपये छहत्तर लाख पंद्रह हजार आठ सौ | | | 1,140,600.00 |
| क्रमिक योग: | | | (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCF DEV JHARKHAND | 7,615,800.00 |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|--|
| 10 | S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पन्न 01-लघु वन का पदार्थ उत्पन्न योजना 03 - प्रशासनिक व्यय | 29998 | DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 289,400.00 रुपये दो लाख नवासी हजार चार सौ |
| | State Scheme : | NA | | |
| | Central Scheme : | NA | | |

योग:

रुपये उन्नासी लाख पाँच हजार दो सौ

289,400.00

क्रमिक योग:

7,905,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. BCCE DEV. JHARKHAND

RANCH

Run Date: 1/7/2021